

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दण्डिक विविध याचिका संख्या-2535/2015

जगदीश एवं अन्य

बनाम

राजस्थान राज्य एवं अन्य

आदेश दिनांक :02.11.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री संदीप पाठक अधिवक्ता-याचीगण की ओर से
श्री वीरेन्द्र गोदारा विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

पत्रावली दो सप्ताह बाद न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे। तब तक पूर्व में पारित अन्तरिम आदेश प्रभावशील रहेगा।

(न्या० बनवारी लाल शर्मा)

अनिलशर्मा/-M-133

सत्यमेव जयते